

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/विविध-01-13/2024

पटना, दिनांक :- / / 2026

डा० प्रियंका, सह-प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को विभागीय आदेश सं०-1352(17) दिनांक-18.12.2025 के द्वारा दिनांक-10.12.2025 से 15.04.2026 तक कुल-127 दिनों की स्वीकृत शिशु देखभाल के क्रम में बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के तहत दिनांक-16.04.2026 से 30.05.2026 तक कुल-45 (पैंतालीस) दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. डा० प्रियंका के पक्ष में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरांत कुल-494-45 = 449 (चार सौ उनचास) दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी आदेय रहेगी।

3. डा० प्रियंका, सह-प्राध्यापक को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं०-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरांत वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), पटना को उपलब्ध करायी जाय।

4. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/विविध01-13/2024-531(17) पटना, दिनांक :- 06/05/2026


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० प्रियंका, सह-प्राध्यापक, नेत्र विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
Hks